न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी गिरिराज कुमार आर0ए0एस0)

नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए

प्रकरण संख्या – 27/2016 रिव्यू प्रार्थना पत्र

1. सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला भीलवाडा	बनाम 1. राजेन्द्र कुमार पिता तेजसिंह सिसोदिया मालिक मैसर्स होटल अप्सरा राजीव गांधी मार्केट भीलवाडा
प्रार्थी /अप्रार्थी	–विपक्षी / प्रार्थी

प्रार्थनापत्र बाबत पुर्नावलोकन खाद्य सरुक्षा प्रकरण सं. 02 /2016 निर्णय दिनांक 30.05.2016

उपस्थित –

1. **प्रार्थी / अप्रार्थी की ओर से विाापेरोकार ाविभागीय प्रतिनिधि**
2. **विपक्षी / प्रार्थी की ओर से स्वयं उपस्थित**

आदेश

दिनांक 28.12.2016

विपक्षी / प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत् पुर्नावलोकन न्यायालय हाजा प्रकरण सं. 02/2016 निर्णय दिनांक 30.05.2016 के क्रम मे दिनांक 09.09.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 13.5.2015 को हमारी होटल से सांयकाल 3.40 पी.एम. पर चैकिंग के दौरान दही एवं पनीर का अलग – अलग सैम्पल लेकर उन्हें एफएसएल जांच हेतु भिजवाया गया था । जांच से दोनों खाद्य वस्तुएं अमानक श्रेणी में पाया गया न्यायालय से आगे की जांच विचारण मुझे नोटिस भिजवाये गये थे , अज्ञानतावश जो जवाब दिनांक 12.2.2016 को पेश किया , इसमें उक्त दोनों खाद्य पदार्थ का जवाब एक साथ पेश कर दिया परन्तु खाद्य सुरक्षा विभाग ने दोनों प्रकरण अलग अलग कर दिये जिसकी जानकारी मुझ विपक्षी / प्रार्थी को नही थी । न्यायालय द्वारा दिनांक 11.3.2016 को प्रकरण सं. 01/16 खाद्य सुरक्षा में मेरी उपस्थिति मे जो निर्णय पारित किया है जिसमें 2000/–रूपये शास्ती अधिरोपित की है जबकि प्रकरण सं. 02/16 में अलग से हुये निर्णय दिनांक 30.5.2016 में शास्ती राशि 400000/–रूपये आरोपित की गयी । संभवत न्यायालय की भूलवश अथवा टंकण की त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है, जबकि मैं दिनांक 30.5.2016 को वक्त सुनवाई न्यायालय में उपस्थित ही नहीं था और न मुझे इस मामले मे सुना गया, न मैनें इस मामले में जवाब पेश किया । अर्थात विपक्षी / प्रार्थी ने अपना बचाव पक्ष सही ढंग से न्यायालय के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

समक्ष प्रस्तुत नही किया । इस प्रकार न्यायालय ने भुलवश आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त योग्य है । आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि विपक्षी / प्रार्थी कहीं पर भी दही और पनीर का विक्रय नही करता । हमारे यहां दही, पनीर मार्केट से सरस डेयरी का दुध लेकर दही और पनीर बनाया जाता है । प्रार्थी को इसकी जानकारी दिनांक 27.8.2016 को डाक विभाग से लेटर आने पर हुयी । अतः प्रार्थना है कि प्रकरण स्वीकार किया जाकर सं. 2/16 निर्णय दिनांक 30.5.2016 का निर्णय अपास्त कर विपक्षी /प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर आदेश पारित कराना फरमावें ।

प्रार्थी विपक्षी का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.9.2016 को पंजीबद्व कर प्रार्थी /विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किया गया ।

प्रार्थी /विपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के खण्डन में किसी प्रकार का जवाब अथवा प्रतिकथन प्रस्तुत नही कर सीधी बहस करना चाहा । दिनांक 28.12. 2016 को दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी । विपक्षी / प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की ।

प्रस्तुत बहस का मनन किया एवं इससे संबंधित मूल पत्रावली व आवेदन का अवलोकन किया गया ।

प्रथम दृष्टतया विपक्षी / प्रार्थी ने अपने आवेदन किया कि वक्त निर्णय दिनांक 30.5.2016 को वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ ही नही था , जबकि मूल प्रकरण के अवलोकन करने पर यह सिद्ध है कि दिनांक 30.5.2016 को किये गये निर्णय के दौरान दोनो पक्ष उपस्थित थे । जिससे विपक्षी / प्रार्थी का यह कथन विश्वसनीय नही है कि वक्त निर्णय दिनांक 30.5.2016 को प्रार्थी /विपक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ हो ।

विपक्षी / प्रार्थी ने अपने पुर्नावलोकन आवेदन के साथ कोई शपथ पत्र पेश नही किया , जबकि राजस्व मेनूअल खण्ड प्रथम नियम 20 के अनुसार आवेदन के साथ हल्फनामा लगाया जाना आवश्यक था । जिससे विपक्षी / प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ समर्थन में हल्फनामा प्रस्तुत नही कर कानूनी त्रुटि की है ।

विपक्षी / प्रार्थी ने अपने आवेदन में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.5.2016 का पुर्नावलोकन करने का अनुतोष चाहा गया है , जबकि इसी आवेदन मे न्यायालय हाजा द्वारा किये गये निर्णय दिनांक 30.5.2016 को अपास्त करा संशोधित निर्णय जारी कराने का निवेदन किया है । इस प्रकार विपक्षी / प्रार्थी ने एक म्यान में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

दो तलवार डालने का प्रयास किया ।

जहां तक नियमों का प्रश्न है रिव्यू प्रार्थना पत्र के स्कोप लिमिटेड है अर्थात निर्णय में ऐसी कोई विधिक त्रुटि हुयी हो या लिपिकीय / टंकण भूल हुयी हो तथा गणीतज्ञ भूल हुयी हो तो ऐसी त्रुटियों पर पुर्नावलोकन आवेदन के अनुसार विचार किया जाकर की गयी भूल को सुधार किया जा सकता है , किन्तु यहां पर इस प्रकार की कोई त्रुटि निर्णय दिनांक 30.5.2016 में होना परिलक्षित नही होता है । इसके साथ साथ यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि विपक्षी / प्रार्थी ने अपने आवेदन में यह कही पर भी उल्लेख नही किया कि मामले मे हुये निर्णय के विरूद्व शीर्ष न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है अथवा नहीं । इस प्रकार प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में विपक्षी / प्राथी स्वयं स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नही आया है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय अस्वीकार किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 28.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया ।

(एल. आर. गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा